

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/85/2021

संगीता पुत्री विजयराम जाति जाटव निवासी ग्राम व पोस्ट मूडिया तहसील नगर जिला भरतपुर।

### **बनाम**

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

### **अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**


### **आदेश**

**दिनांक 18.11.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है संगीता पुत्री विजयराम जाति जाटव निवासी ग्राम व पोस्ट मूडिया तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/678 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 7029 दिनांक 15.11.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब पत्र क्रमांक 7029 दिनांक 15.11.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचनाएं उनके कार्यालय से संबंधित न होने के कारण अपीलान्त का आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्त को भी सूचित कर दिया गया है। चूंकि अपीलान्त द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर 17300

होने से उनके द्वारा अपीलान्त का आवेदन धारा 6(3) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर को अन्तरित करते हुये पत्रांक 5803-04 दिनांक 15.09.2021 से अपीलान्त को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्त वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (प्रारम्भिक शिक्षा), भरतपुर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को ( प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर